



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-178

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 275578 दिनांक 02/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Dhananjay Tyagi S/o Ajmer Singh Tyagi	श्रीमती उषा गोयल पत्नि श्री ए.के. गोयल	78	219.72 SQ. YARD	Private	BANK OFFICERS CAMPUS-B Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	निजी खातेदारी की योजना बैंक ऑफिसर्स कैम्पस-बी के भूखण्ड संख्या 78 क्षेत्रफल 219.72 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 29.07.2002 को श्रीमती उषा गोयल पत्नि श्री ए.के. गोयल के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.02.2021 को श्रीमती उषा गोयल पत्नि श्री ए.के. गोयल के द्वारा श्री अशोक कुमार उप्पल पुत्र श्री जनकराज उप्पल के पक्ष में कर दिया गया। जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

26.02.2021 को श्री अशोक कुमार उप्पल पुत्र श्री जनकराज उप्पल के द्वारा श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामराय शर्मा के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.04.2024 को श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामराय शर्मा के द्वारा श्री धनंजय त्यागी पुत्र श्री अजमेर सिंह त्यागी के पक्ष में कर दिया गया। उक्त भूखण्ड में उक्त से अधिक बैचान होने के कारण सार्वजनिक विज्ञप्ति करवाया जाना प्रस्तावित है। आवेदक द्वारा उपविभाजन/पुर्नगठन हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Dhananjay Tyagi S/o Ajmer Singh Tyagi को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।